समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा दिनांक 03-11-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1-जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा, 2-सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा, 3-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा, 4-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मधेपुरा, 5-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा, 6-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा, 7-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा एवं 8-कार्यपालक अभियंता, काड़ा, मधेपुरा बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। बताया गया कि 10:00 बजे पूर्वा0 से विडियो कॉन्फ्रेसिंग होने के कारण जिलाधिकारी महोदय निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में ही आज की सोमवरीय बैठक की जाएगी। बताया गया कि महत्वपूर्ण छठ पर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ है, इसके लिए सभी पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन इसी प्रकार करें, यही अपेक्षा की जाती है।

अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा विगत बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेश का अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा की गयी :-

(2) अरारघाट जल विद्युत परियोजना :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि विगत बैठक में अरारघाट जल विद्युत परियोजना के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। क्या कार्रवाई की गयी है, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ***(अनु0-जिला भू-अर्जन पदा0)***

(3) भवन प्रमण्डल :- अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में समाहरणालय कार्यालय भवन /समाहर्त्ता आवास /अनुमण्डल कार्यालय भवन /अनुमण्डल पदाधिकारी आवास एवं पदाधिकारियों /कर्मचारियों के अवासीय भवनों के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 10-11-2014 तक विभाग को भेजने का निदेश विगत बैठक में दिया गया था। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि इस संबंध में प्राक्कलन तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि ससमय उक्त प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेंजे तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनु0-कार्य0अभि0, भवन /सभी संबंधित पदा0)

(4) **सोलर पम्प** :- बताया गया कि विगत बैठक में सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थियों के अंशदान के साथ सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, किन्तु प्रभारी पदाधिकारी, विकास तथा जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब उक्त सूची तैयार कर उपलब्ध करावें, ताकि ससमय विभाग को भेजा ज़ा सके। ***(अनु0-जिला कृषि पदा0 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा)***

(5) **विद्युत** :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत से पृच्छा की गयी कि विगत बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में क्या कार्रवाई की गयी है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन-जिन पदाधिकारियों को बिजली का बिल नहीं मिल रहा था, उनके यहां पुनः नया मीटर या पूर्व से जो मीटर लगाया गया है, आकलन कर बिजली का बिल दिया गया। साथ ही आगामी माह से बिजली का बिल ससमय दिया जायेगा। निदेश दिया गया कि बिजली का बिल शत-प्रतिशत वितरण हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित किया जाए। ***(अनु0-कार्य0अभि0, विद्युत)***

(6) **माप-तौल** :- निरीक्षक, माप-तौल, मधेपुरा से पृच्छा किया गया कि विगत सप्ताह किए गए जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है, तो उनके द्वारा बताया गया कि सभी संबंधितों को नोटिस निर्गत किया गया है तथा कुछ सामग्री भी जप्त की गयी है। निदेश दिया गया कि जो भी दुकानदार कम तौलते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई किया जाए। ***(अनु0-निरीक्षक, माप-तौल)***

(7) **ओभर लोडिंग** :- अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि आये दिन पटना से आने वाली बड़ी बस के छत के ऊपर भारी मात्रा में ओभर लोडिंग कर सामग्री लाया जाता है, किन्तु जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक तथा उपायुक्त, वाणिज्यकर पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा न तो उसकी जांच की जाती है और न ही उनके विरूद्ध जुर्माना वसूला जाता है, जबकि इस संबंध में विगत कई बैठकों में निदेश दिया जा चुका है। पुनः सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि बड़ी वाहन, जो ओभर लोडिंग कर सड़क पर चलती है, उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाए तथा विस्तृत प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराया जाए।

(अनु0-जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा)

(8) **दूरभाष** :- बताया गया विगत बैठक में सहायक अभियंता, दूरभाष द्वारा बताया गया था कि नगर क्षेत्र में सड़क /नाला के निर्माण होने पर उनके केबुल को संबंधित संवेदक के मजदूरों द्वारा काट दिया जाता है तथा केबुल वापस भी नहीं किया जाता है, जिस पर कार्रवाई हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, को निदेशित किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस संबंध में संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया है। ***(अनु0-सहा0अभि0, दूरभाष/कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा)***

(9) **राईट-अप** :- अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि विगत बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था कि राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय आने पर एक संक्षिप्त राईट-अप प्रस्तुत किया

जाए, किन्तु सभी पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि इसका अनुपालन किया जाए।

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन किया जाए तथा वस्तुस्थिति से सोमवारीय बैठक से पूर्व अवगत कराया जाए। ***(अनु0-सभी संबंधित पदाधिकारी)***

साथ ही अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा आज की बैठक में निम्नांकित विभागों को सरकार के पत्र के आलोक में कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया :-

1-सामाजिक सुरक्षा :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि सचिव, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-222, दिनांक 28-10-2014 द्वारा सामाजिक सुरक्षा द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अधीन वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक सहायक अनुदान मद में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के आलोक में निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बी0टी0सी0 - 42ए0 में तथा ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गयी राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया है। इस निमित्त दिनांक 17-18 नवम्बर, 2014 को विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत कराया जाए। ***(अनु0-सहायक निदेशक, सा0सु0कोषांग)***

2-डी0आर0डी0ए0 :-

बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-206922, दिनांक-28-10-2014 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत पंचायत रोजगार सेवक /पंचायत तकनीकी सहायक का ई0पी0एफ0 खाता खोले जाने एवं कटौती की गयी राशि दिनांक 15-11-2014 तक जमा करने का निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। ***(अनु0-उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)***

3-स्वास्थ्य :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-7854, दिनांक- 27-10-2014 द्वारा इबोला वाइरस डिजीज आउटब्रेक के निरोध, उपचार एवं रोकथाम हेतु विस्तृत निदेश दिया गया है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत कराया जाए। ***(अनु0-सिविल सर्जन, मधेपुरा)***

4-सांख्यिकी :-

सहायक निदेशक -सह- नोडल पदाधिकारी (सी0आर0एस0), पटना के पत्रांक-2627, दिनांक- 21-10-2014 द्वारा सी0आर0एस0 सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में निदेश दिया गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि

इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। *(अनु0-जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा)*

5-डी0सी0 विपत्र :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-9765, दिनांक- 22-10-2014 द्वारा दिनांक 29-08-2014 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2012-13 (31-12-2012) तक की अवधि के लंबित डी0सी0 विपत्रों के सामंजन एक माह के अन्दर करने का निदेश दिया गया है। अतः अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, अपर समाहर्त्ता, आपदा, जिला नजारत उप समाहर्त्ता एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध है कि लंबित डी0सी0 विपत्रों के सामंजन हेतु नियमानुसार त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जाए। *(अनु0-अपर समाहर्त्ता, आपदा/उप विकास आयुक्त)*

6-सांसद आदर्श ग्राम योजना :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-206926, दिनांक- 28-10-2014 द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित मार्गदर्शिका तथा इस योजना के तहत् माननीय सांसद द्वारा चयनित पंचायत की सूची भेजने के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश दिया गया है। जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में तीनों माननीय सांसद महोदय को अनुरोध पत्र भेजा जाए। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। *(अनु0-जिला योजना पदा0 /सभी संबंधित पदाधिकारी)*

7-गैर बैंकिंग कम्पनियाँ :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई-3, बिहार, पटना के पत्रांक-4977, दिनांक- 15-10-2014 द्वारा आर0बी0आई0 द्वारा पांच गैर-बैंकिंग कम्पनियों का पंजीकरण निरस्त करने संबंधी जानकारी दी गयी है, जो निम्नवत् है :-

Sl. No.	Company's Name	Address of Registered Office	Certificate of Registratioin No. & Date	Date of cancellation
1	Unichem Finance & Enterprises Private Limited	IA, Alipore Avenue, Kolkata-700027	B- 05. 05174 July 10, 2003	July 17, 2014
2	Shree Bhagwati Marketing Private Limited	2, Digamber Jain Temple Road, 4th Floor, Kolkata - 700007	B-05. 05458 September 3, 2003	July 17, 2014
3	Sureka Teknik Private Limited	19, Pollock Street, 2nd Floor, Kolkata - 700007	B-05. 05754	July 28, 2014
4	Dintara Mercantile Private Limited Kolkata (Presently Royal Fintrade Private Limited)	13, B.B. Ganguly Street, Ground Floor, Room No.4, Kolkata- 700012	B-05. 06293 March 19, 2004	August 1, 2014
5	Shimansu Vyaparik Kendra Ltd.	Nicco House, 4th Floor, 2 Hare Street, Kolkata- 700001	05. 00422 February 27, 1998	July 22, 2014

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा तथा वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त कम्पनियों की शाखा /प्रतिनिधि इस जिले अन्तर्गत कार्यरत हो, तो जांच कर आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई की जाए। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा

से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। *(अनु0–जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक /सभी संबधित पदाधिकारी)*

8–भू–अर्जन :–

समीक्षा के क्रम में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि रेल इंजन कारखाना, मधेपुरा हेतु अधिग्रहित भूमि में से तीन सौ एकड़ का मुआवजा भुगतान हेतु रैयतों की कागजात आदि तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। साथ ही प्रगति प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराया जाए। *(अनु0–जिला भू–अर्जन पदा0)*

9– छठ पर्व, 2014 के अवसर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की उपस्थिति /अनुपस्थिति :–

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि छठ पर्व, 2014 के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, किन्तु कुछ स्थलों पर दण्डाधिकारी ससमय उपस्थित नहीं हुए हैं, फलस्वरुप संबंधित प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी को उक्त अनुपस्थित पदाधिकारी के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दण्डाधिकारी के अनुपस्थिति संबंधी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	प्रतिनियुक्ति स्थल	संबंधित दण्डाधिकारी का नाम /पदनाम	अनुपस्थिति संबंधी विवरणी
1	साहुगढ़ घाट	श्री अशोक कुमार चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया कि उक्त दण्डाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर नहीं पहुंचे।
2	चिकनी पंचायत भवन के सामने पोखर पर	श्री संजीव कुमार सुमन, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, गम्हरिया,	अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त दण्डाधिकारी का फोन का स्वीच ऑफ था।
3	जीवछपुर पाण्डे टोला के सामने पोखर पर	श्री जयजंत रजक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, घैलाढ़	अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त दण्डाधिकारी का फोन का स्वीच ऑफ था।
4	मुरलीगंज प्रखंड परिसर पोखर घाट	मो0 निशार अहमद, कनीय अभियंता, मनरेगा, मुरलीगंज	अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त दण्डाधिकारी 01:35 अप0 में अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचे।
5	अमारी हाई स्कूल के निकट	श्री सत्य नारायण पासवान, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मुरलीगंज	अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा ने प्रतिवेदित किया कि फोन पर संबंधित दण्डाधिकारी द्वारा बताया गया कि वे बीमार हैं तथा प्र0वि0पदा0, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि सुरक्षित दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, जो उस वक्त वहां नहीं पाये गये।
6	केवटगामा पुस्तकालय छठ मेला स्थान	श्री तरूण कुमार मिश्र, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कुमारखंड	अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त दण्डाधिकारी 03:00 बजे अप0 में अपने कर्त्तव्य स्थल पर पहुंचे।
7	बथनाहा पोखर	श्री राजदेव पासवान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पुरैनी	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त तीनों दण्डाधिकारी अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।
8	बलिया	श्री कृष्ण कुमार शर्मा, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, पुरैनी	
9	योगीराज स्कूल के पास पोखर	श्री मुकेश कुमार, कृषि समन्वयक, पुरैनी	

➢ इसके अतिरिक्त 1–जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा, 2–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा तथा 3–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा

प्रतिवेदित किया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत सभी दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय उपस्थित थें।

➢ अपर समाहर्त्ता, आपदा द्वारा बताया गया कि अभी भी 1-श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, 2-श्री सुरेन्द्र प्रसाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा, 3-श्री सुधीर कुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, 4-श्री प्रदीप कुमार झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा, 5-श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, 6-श्री रविन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा 7-श्री अनुराग कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो खेद का विषय है। पुनः सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि अनुपस्थित दण्डाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

➢ साथ ही क्रमांक-01 से 09 पर अवस्थित दण्डाधिकारियों से इस आशय का स्पष्टीकरण पूछा जाए कि कर्त्तव्य के समय मोबाईल का स्वीच ऑफ रखने, समय पर प्रतिनियुक्ति स्थल पर नहीं पहुंचने तथा अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से बिना किसी पूर्व सूचना /पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाए। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

10- प्रेस कतरन :-

दैनिक हिन्दुस्तान के दिनांक 01-11-2014 के अंक में छपी खबर ''छह साल बाद भी मुआवजा नहीं'' के संबंध में अपर समाहर्त्ता, आपदा एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी, आपदा को निदेशित किया गया कि वस्तुस्थिति की जांच कर संबंधित अंचलाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र-'क' गठित किया जाए। साथ ही यदि विषयांकित ड्राफ्ट का भुगतान नहीं हुआ है, तो विभाग को दुबारा ड्राफ्ट जारी करने के लिए पत्राचार किया जाए, ताकि पीड़तों को राहत मिल सके।

(अनु0-प्रभारी पदा0, आपदा /अपर समाहर्त्ता, आपदा)

(11) GPF Missing Contribution Report :-

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा **GPF Missing Contribution Report** से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

Sl. No.	Total No. of DDO's	No. of DDO's Forwarded (Missing)	Remark
1	100	100	82 rest DDO's to be forwarded (Reminder sent to all DDO)

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा **(HOM001)**	55	48	7
2	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा **(REV012)**	4	2	2
3	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा **(HRD288)**	4	3	1

4	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्य एवं उच्च विद्यालय, मधेपुरा **(18)**	46	29	17
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा **(ANI010, ANI011)**	2	0	2
6	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा **(RWD003)**	3	0	3
7	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज **(RWD002)**	4	1	3
8	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर, जिला-सुपौल **(WAT002)**	3	1	2

➢ सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। निदेश दिया गया कि उक्त कार्यो के निष्पादन हेतु सभी संबंधित जिलाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्राचार करने हेतु अविलम्ब कार्रवाई करें।

(अनुपालन- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

निजी सहायक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	**प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा**	**अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।**

ज्ञापांक....2964..../गो0, मधेपुरा, दिनांक..06.11.14

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल,

मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Khalid 6/11/14 C.Operator

6/11/14
निजी सहायक
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा।

06/11/14
प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा

अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन,
मधेपुरा।